10.7.19 आज पत्र उप. । कारण वादी के वादी कि... सिंह का प्रार्थना पत्र पेश हुआ । प्रतिवादी उत्तर पेश नहीं करना चाहते है व वादी गवाह पेश करना चाहते है पत्रावली वास्ते बहस मौखिक दिनांक 17.7.19 को पेश हो।

17/7/19 - अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/अन्य कार्य/चुनाव कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 7.10.19 को वास्ते बहस मौखिक पेश हो।

प्रतिवादीगण की ओर से ... प्रस्तुत नहीं ... चाहते।

19-8-19 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया जाकर बहस सुनी गई प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद बाशी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डिक्री जारी की गई। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील अमिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 047/2018

1 शिवचरण सिंह पुत्र स्व. श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) – – वादी

–:: बनाम ::–

1 अंग्रेजकौर पत्नि स्व. श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 सुखदेव कौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि श्री सुखमहेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 10, चक 5 के.एन.जे. आबादी, मक्कासर तहसील हनुमानगढ़।
3 निर्मलकौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि श्री सविन्द्रपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.टी.जी. मक्कासर तहसील हनुमानगढ़।
4 परमजीतकौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि श्री वछिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 10, चिरितियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 प्रविन्द्रकौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 10, चिरितियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 वीरपालकौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि श्री सरदूल सिंह जाति जटखि निवासी वार्ड नंम्बर 19, धानकावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी
2. श्री कुलविन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील हनुमानगढ़ के चक नम्बर 6 के.के.डब्लयु. के खाता संख्या 72/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के पत्थर नम्बर 123/214 मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 2 से 9, 12 से 18, 23 से 25, पत्थर नम्बर 123/215 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 3 से 6 कुल 5.566 हैक्टर भूमि मय गैर मुमकिन वादी के पिता श्री दलीप सिंह के नाम दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित वादी के पिता के नाम दर्ज भूमि जद्दी जायदाद है। उक्त जद्दी जायदाद व संयुक्त परिवार की आय से वादी के पिता श्री दलीप सिंह ने तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 6 के.के.डब्लयु. के खाता संख्या 154/131 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के पत्थर नम्बर 123/216 मुरब्बा नम्बर 73 किला नम्बर 15 से 17, 24, 25, पत्थर नम्बर 124/216 मुरब्बा नम्बर 74 किला नम्बर 11 से 25, पत्थर नम्बर 124/217 मुरब्बा नम्बर 75 किला नम्बर 12 से 25 व पत्थर नम्बर 123/217 मुरब्बा नम्बर 76 किला नम्बर 5 कुल 8.885 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता व खाला में से स्वयं ने अपने नाम से 0.506 हैक्टर भूमि व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम 1.897 हैक्टर भूमि खरीद की। इसके अलावा वादी के पिता श्री दलीप सिंह ने इसी चक के खाता संख्या 2/2 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के पत्थर नम्बर 124/217 मुरब्बा नम्बर 75 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11 कुल 1.265 हैक्टर भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से खरीद की तथा इसी प्रकार इसी चक के

सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 178/150 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के पत्थर नम्बर 124/215 मुरब्बा नम्बर 54 किला नम्बर 16/1/.202, 17 रो 20, 123/215 मुरब्बा नम्बर 55 किला नम्बर 23 व पत्थर नम्बर 123/216 मुरब्बा नम्बर 73 किला नम्बर 4 रो 8, 13, 14 कुल 3.491 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.753 हैक्टर भूमि खरीद की। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद–पत्र है।

वादी के पिता श्री दलीप सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख दिनांक 30.08.2018 को फौत हो चुके है। वादी व प्रतिवादीगण स्व. दलीप सिंह के कानूनी व जायज वारिसान है। वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित भूमि जद्दी जायदाद व जद्दी जायदाद की आय तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीद की गई भूमि है जिस कारण वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित कुल भूमि जद्दी जायदाद है व जद्दी जायदाद होने से वादी के पिता दलीप सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त कुल भूमि में वादी व प्रतिवादीगण बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/7–1/7 हिस्सा के हकदार खातेदार है। लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि में मिलने वाला हक विरासतन अर्सा दराज पूर्व वादी के पक्ष में परित्याग किया हुआ है। इस प्रकार वादी वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित कुल भूमि का एकल खातेदार काश्तकार हैव इस आश्य की घोषणा पाने का अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

वादी ने गत सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वाद–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णितानुसार उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाने में सहमति दे देवें तो वे इन्कार हो गए। यही बिनाय दावा है। वाद–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो कि उचित न्यायालय पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद–पत्र वादी स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित चक 6 के.के. डब्लयु खाता संख्या 154/131 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में वादी के पिता स्व. दलीपसिंह के नाम दर्ज 0.506 हैक्टर व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज 1.897 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 2/2 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.265 हैक्टर तथा इसी चक के खाता संख्या 178/150 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.753 हैक्टर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 72/61 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में स्व. दलीपसिंह के नाम दर्ज 5.566 हैक्टर भूमि का वादी हकदार खातेदार है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे, दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 03.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर करनें पर उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पहचान किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान आपस में माता–पुत्र व बहिन–भाई है व एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनका भाई बिरादरी की पंचायत ने राजीनामा करवा दिया है, जो इस प्रकार है :–

लगातार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

1 वाद–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक 6 के.के.डब्लयु. के खाता संख्या 72/61 की 5.566 हैक्टर कृषि भूमि वादी/प्रथम पक्ष व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति की भूमि है व वादी व प्रतिवादी ता संख्या 2 से 6 के पिता ने अपने जीवन काल में उक्त जद्दी जायदाद की आय व संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 6 के.के.डब्लयु. के खाता संख्या 154/131 की कुल वर्णित 8.885 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि मे से 1.897 हैक्टर व स्वयं के नाम से 0.506 हैक्टर भूमि खरीद की तथा इसी चक के खाता संख्या 2/2 की 1.265 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर व इसी चक के खाता संख्या 178/150 में वर्णित 3.491 हैक्टर भूमि में से 0.753 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की। इसलिए वाद–पत्र में दर्ज कुल भूमि पैतृक सम्पति होना पक्षकारान जरिये राजीनामा स्वीकार करते है व पैतृक सम्पति होने के कारण वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर का हक व अधिकार है लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि मे मिलने वाला हक विरास्तन वादी के पक्ष में मौखिक तर्क किया हुआ है। इस प्रकार वाद–पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित भूमि का वादी अकेला हकदार खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज एंव आपति नही है। जिसे पक्षकारान जरिये राजीनामा स्वीकार करते हैं।

2 अगर प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार से कोई एतराज एवं आपति नही है बल्कि पक्षकारान वाद डिक्री करने के लिए अपनी सहमति देते हैं ।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद–वादी डिक्री फरमाया जावे ।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से वादी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

लगातार 4

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 अग्रेज कौर के नाम भूमि तथा वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्व. श्री दलीपसिंह की भूमि को उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का भाई होनें के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 6 के.के.डब्लयु. के खाता संख्या 72/61 की 5.566 हैक्टर कृषि भूमि जो वादी के पिता दलीपसिंह पुत्र करनैलसिंह के नाम है तथा चक 6 के.के.डब्लयु. के खाता संख्या 154/131 की कुल वर्णित 8.885 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि मे से 1.897 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अंग्रेज कौर जो वादी की माता है के नाम है, तथा 0.506 हैक्टर भूमि खरीद वादी के पिता दलीपसिंह पुत्र करनैलसिंह के नाम है तथा इसी चक के खाता संख्या 2/2 की 1.265 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर, खाता संख्या 178/150 में वर्णित 3.491 हैक्टर भूमि में से 0.753 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अंग्रेज कौर जो वादी की माता है के नाम है, में प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति व वादी के पिता दलीपसिंह पुत्र करनैलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी शिवचरण सिंह पुत्र स्व. श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्

Web Copy – Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 047/2019

1 शिवचरण सिंह पुत्र स्व. श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
– – वादी

–:: बनाम ::–

5 अंग्रेजकौर पत्नि स्व. श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
6 सुखदेव कौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि श्री सुखमहेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 10, चक 5 के.एन.जे. आवादी, मक्कासर तहसील हनुमानगढ़।
7 निर्मलकौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि श्री सविन्द्रपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एस.टी.जी. मक्कासर तहसील हनुमानगढ़।
8 परमजीतकौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि श्री वछिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 10, चिस्तियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9 प्रविन्द्रकौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 10, चिस्तियां तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10 वीरपालकौर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नि श्री सरदूल सिंह जाति जटखि निवासी वार्ड नंम्बर 19, धानकावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 19.08.2019

वादी की और से श्री वरिन्द्र गुप्ता अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री कुलविन्द्रसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 19.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 6 के.के.डब्लयु. के खाता संख्या 72/61 की 5.566 हैक्टर कृषि भूमि जो वादी के पिता दलीपसिंह पुत्र करनैलसिंह के नाम है तथा चक 6 के.के.डब्लयु. के खाता संख्या 154/131 की कुल वर्णित 8.885 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि मे से 1.897 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अंग्रेज कौर जो वादी की माता है के नाम है, तथा 0.506 हैक्टर भूमि खरीद वादी के पिता दलीपसिंह पुत्र करनैलसिंह के नाम है तथा इसी चक के खाता संख्या 2/2 की 1.265 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर, खाता संख्या 178/150 में वर्णित 3.491 हैक्टर भूमि में से 0.753 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अंग्रेज कौर जो वादी की माता है के नाम है, में प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति व वादी के पिता दलीपसिंह पुत्र करनैलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी शिवचरण सिंह पुत्र स्व. श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 12:06:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: